

उनवान:- जनक बनाम सुगरसिंह
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

क्र.सं.	फर्द अहकाम
6/23	<p>प्रार्थी की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 20.07.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(गौरव कुमार मित्तल) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
207/23	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं० 1, 2 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड० ने उपस्थित दर्ज कराई। एवं अप्रार्थी नं० 3, 4 के नोटिस तामील कार्मिड डारा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। वास्ते वकालतनामा पेश करने दिनांक 21.8.23 को पेश हो।</p>
218/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उपपपअकारान उप०। अप्रार्थी नं० 1, 2 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते जबाबदावा पेश करने दिनांक 27.9.23 को पेश हो।</p>
279/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से काय स्थगन रखम गया है। पीठासन अधिकारी... प्रमाण प्रस्तुत करे है। गतानुसार दिनांक 9.11.23 को पेश हो।</p>
9-11-23	<p>वकील/वकीला समय पक्ष उपस्थित। पीठासन अधिकारी... प्रमाण प्रस्तुत करे है। पत्रावली गतानुसार दिनांक 15.11.23 को पेश हो।</p>

2247-50
16/6/2023

1, 2 की ओर से
उपस्थित
(3) प्रमाण



काम
पे
य

पत्रावली पैकी पैडा डूई। प्राची युव प्राची
वरीच कोरि ठपसमल गडी हुआ। वा २
भावाज डियई गडी इसके ठपसमल मी
कोरि ठपसमल गडी हुआ। इसलिये प्राची
का ठमर प्राचीना पत्र काहनायी निषेचन
कायम पैरवी कायम दाखिली मे बकारिज
किया जात है। पत्रावली फेदाव शुभ्रा
दुआ नमवा मे कम होकर डारिल
दुआ है।



रान उफ।
समय
18-3-24

उपरिषद
समय
दिनांक

रान उफ।
समय दिना
5.5.24

रान उफ।
दिनांक
6.6.24 को